

संलग्न-14/2

परियोजना का नाम- जनपद बदायूँ में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के किमी 102.115 से 131.00 तक दो लेन विद पेड सोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के किमी 102.115 से 131.00 तक दो लेन विद पेड सोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु कुल 13.29 हेक्टेयर वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग एवं कुल बाधक 26.04 वृक्षों का पातन निहित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार पातित वृक्षों की दुगनी संख्या में वृक्षारोपण हेतु संलग्नक संख्या {14/1} के अनुसार सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ के अन्तर्गत वृक्षारोपण की दृष्टि से संरक्षित वन भूमि का चयन किया गया है। प्रमाणित किया जाता है उक्तानुसार चयनित स्थल वृक्षारोपण दृष्टिकोण से उपयुक्त है। जिरा पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बदायूँ।

इ0 मनिन्दर सिंह
(सहा0 अभियन्ता)
मा0 उ0 लो0 नि0 वि0
बदायूँ